उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-3

संख्या-5/2017/मु0स0-02/एक-3-2017

लखनऊः दिनांकः 21 मार्च,2017

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सी0एम0-01/एक-3-2016-रा0-3, दिनांक 12 मई,2016 द्वारा श्रीमती राजकुमारी कुशवाहा, निवासी-259, विनायकपुर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश को एक वर्ष के लिये सलाहकार, राजस्व विभाग नामित किया गया था।

2- मुख्य सचिव कार्यालय, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय आदेश संख्या-206/पीएसएमएस/2016, दिनांक 20 मार्च,2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा संसूचित, शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में श्री राज्यपाल, श्रीमती राजकुमारी कुशवाहा, सलाहकार, राजस्व विभाग की सेवाओं को तत्कालिक प्रभाव से समाप्त करते हुये उन्हें कार्यमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-5/2017/मु0स0-02(1)/एक-3-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को उनके कार्यालय आदेश संख्या-206/पीएसएमएस/2016, दिनांक 20 मार्च,2017 के संदर्भ में।
2- श्रीमती राजकुमारी कुशवाहा, निवासी-259, विनायकपुर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश।
3- महालेखाकार प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
5- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
6- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त मा0 मंत्रिगण/मा0 राज्यमंत्रीगण के निजी सचिव।
8- प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
9- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
10- अपर मुख्य सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।
12- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
13- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, बापू भवन, लखनऊ।
14- चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
15- निदेशक, भू अध्यप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
16- प्रमुख सम्पादक, जिला गजेटियर, उ0प्र0, लखनऊ।
17- समस्त मण्डलाधिकारी/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
18- गोपन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
19- इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
20- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
21- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।